

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

शुद्धि-पत्र

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-03 / 2025

पटना, दिनांक—

बिहार वित्त सेवा के श्रीमती नरगिस, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं० बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2842 दिनांक-23.07.2026 की कंडिका-1 में अंकित "22 (बाईस)" के स्थान पर "50 (पचास)" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-2 में अंकित "(166-22=144) (एक सौ चौवालीस)" के स्थान पर "(166-50=116) (एक सौ सोलह)" पढ़ा जाय।

3. अधिसूचना की शेष सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-03 / 2025 3582 / पटना, दिनांक-14/09/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना-800015 / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर / अंचल प्रभारी, कटिहार अंचल, कटिहार / अंचल प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर / नोडल पदाधिकारी(स्था०), एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती नरगिस, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं० बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।